



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 25-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 10, 2022 (MAGHA 21, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 फरवरी, 2022

संख्या 4/22/2016-आर-II.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12), की धारा 49 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- ये नियम हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2016 में परिशिष्ट ख में क्रम संख्या 3 के सामने, खाना 3 के नीचे विद्यमान मद (iii) तथा उसके सामने प्रविष्टियां, के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(iii)	<p>पुरुषों हेतु:— न्यूनतम शारीरिक मानक रखना चाहिए अर्थात् 170 सेंटीमीटर उंचाई, 54 किलोग्राम भार तथा छाती बिना फुलाए 32” (ईंच) तथा 34” (ईंच) फुलाव (बिना कपड़े के), दृष्टि 6/6 (बिना चश्मा) तथा 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मे सहित या के बिना)।</p> <p>महिलाओं हेतु:— न्यूनतम शारीरिक मानक रखना चाहिए अर्थात् 152 सेंटीमीटर उंचाई, 47.5 किलोग्राम भार, दृष्टि 6/6 (बिना चश्मा के) तथा 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मे सहित या के बिना)।</p>
--------	--

अरुण गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 10th February, 2022

No. 4/22/2016- R-II.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution of India and sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 49 of the Haryana Fire Service Act, 2009 (12 of 2009), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Fire (Group B) Service Rules, 2016, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Fire (Group B) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Fire (Group B) Service Rules, 2016, in Appendix B, against serial number 3, under column 3, for the existing item (iii) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(iii)	<p>for male:- Should have minimum physical standard i.e. Height- 170 Centimeters, Weight 54 kg. and Chest 32” (inches) unexpanded and 34” (inches) expanded (without clothes), Eye Sight 6/6 (without glasses) and 6/6 (with or without glasses after the age of 45 years);</p> <p>for female:- Should have minimum physical standard i.e. Height-152 Centimeters, Weight 47.5kg., Eye Sight 6/6 (without glasses) and 6/6 (with or without glasses after the age of 45 years).”</p>
--------	--

ARUN GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.